राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 506 / 2025

दीप चन्द बागड़ी —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबंधक, गृह विभाग (ग्रुप–7), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. समावेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, नागौर।
5. समावेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर।
6. महावीर सिंह, कम्पनी समावेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, नागौर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.02.2025
आदेश की दिनांक : 27.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री इन्द्रजीत यादव, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–3) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 16.01.2025 (अनुलग्नक–5) को चुनौती दी गई जिसमें अपीलार्थी का स्थानांतरण कम्पनी कमाण्डर, केन्द्रीय भण्डार, नागौर (अटैचमेण्ट) से सीमा गृह रक्षा, बीकानेर किया गया एवं उसको दिनांक 16.01.2025 (अनुलग्नक–5) के द्वारा कार्यमुक्त किया जा चुका है। अपीलार्थी का मुख्य कथन है कि अपीलार्थी को विभागीय पदस्थापन नीति के विपरीत जाकर उसका स्थानांतरण आलोच्य आदेश के द्वारा एक वर्ष 6 माह की

अल्पावधि में ही स्थानांतरित कर दिया गया और निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने के उद्देश्य से अपीलार्थी को स्थानांतरित किया गया। उनका यह कथन है कि निजी प्रत्यर्थी कम्पनी समावेष्टा पदोन्नति होने पर आदेश दिनांक 18.12.2024 (अनुलग्नक–4) द्वारा केन्द्रीय भण्डार जयपुर में पदस्थापित किया गया था परन्तु निजी प्रत्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया गया। आलोच्य आदेश जारी होने पर उनके द्वारा जयपुर में कार्यग्रहण किया गया और उसके पश्चात् गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र नागौर में कार्यग्रहण किया गया। अतः आलोच्य आदेश निरस्त कर अपीलार्थी को यथावत् गृह रक्षा, नागौर में रखा जावे।

प्रत्यर्थी विभाग का कथन है कि अपीलार्थी नागौर में अटैचमेण्ट पदस्थापित था, आलोच्य आदेश द्वारा उसको नियमित पदस्थापन किया गया है। निजी प्रत्यर्थी को समंजन करने की दृष्टि से आलोच्य आदेश जारी नहीं किया गया। अतः अपील को खारिज फरमायी जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

हम यह पाते है कि अपीलार्थी गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, नागौर (अटैचमेण्ट) के आधार पर कार्यरत था और उसे आलोच्य आदेश द्वारा पदस्थापन किया गया है। निजी प्रत्यर्थी द्वारा आलोच्य आदेश की अनुपालना में गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, नागौर में पदस्थापन किया जाना प्रतिवेदित है। अतः उपरोक्त तथ्य के विवेचन के दृष्टिगत हक यह पाते है कि यह अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य